an>

Title: Need to take stringent action against fake doctors in the country.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं पूरे देश की जनता के हित की बात सदन में उठाना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल 120 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।। दिल्ली के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक खबर छपी है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कहें।

श्री राजेश रंजन : उस खबर में यह बताया गया है कि देश में लगातार डाक्टरों द्वारा दवा कम्पनीज से पैसे लेकर गलत दवाएं और जांच रिकमेंड की जाती है। मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को माना भी है। बिहार में पटना में 20 ऐसे डाक्टरों के बारे में पता भी चला है। इसके बिहार में नौ फर्जी डाक्टर्स सहरसा और गया में भी पाए गए हैं। भागलपुर में एक पीड़िता के साथ गलत उपचार और दुर्व्यवहार किए जाने की भी खबर आई है। लेकिन उस डाक्टर मृत्युंजय कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो फर्जी डाक्टर्स हैं, गलत सर्टिफिकेट लेकर डाक्टर बन गए हैं, सहरसा में उन्हें पकड़ा भी गया है। ये सब पैसे लेकर काम कर रहे थे। मेरी एमसीआई और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग है कि इस तरह से जो फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट बनाकर डाक्टर बनते हैं और दवा कम्पनीज के साथ मिलकर जो डाक्टर्स गलत दवाएं देते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।